संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 27-08-2021**

आज दिनांक 27.08.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

गैर इरादतन हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन मे जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्र** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद **श्री अनिल कुमार** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा आज दिनॉक 27.08.2021 को मु0अ0सं0 595 / 2021 धारा 304 / 323 / 504 भादवि मे वांछित अभियुक्त मोनू पुत्र आत्माराम निवासी तुर्कवलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीनगर को कोनी तिराहा चौकी तामेश्वरनाथ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- मोनू पुत्र आत्माराम निवासी तुर्कवलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीनगर।

पंजीकृत अभियोग –

1- पर मु0अ0सं0 595 / 2021 धारा 304 / 323 / 504 भादवि

विवरणः- उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम तुर्कवलिया में वादी श्री संगम कुमार चौधरी द्वारा दिनांक 20.08.2021 को सूचना दिया गया कि उसी गांव के अभियुक्तों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर मेरे पिता को मारपीट कर घायल कर दिया गया था जिनकी गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में दवा इलाज के दौरान दिनांक 22.08.2021 को मृत्यु हो गयी। घटना के संबंध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 595 / 2021 धारा 304 / 323 / 504 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी तामेश्वरनाथ उ0नि0 श्री शशिकांत तिवारी, हे0का0 भोला यादव।

संतकबीरनगर पुलिस

दुष्कर्म करने व जानमाल की धमकी देने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्रा** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 536/21 धारा 376/452/506 भा0द0वि0 मे वांछित अभियुक्त नाम पता समीम अहमद उर्फ टिन्कू पुत्र मो0 ताहिर निवासी उरसरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को मेहदावल बाईपास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर वादिनी की पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित कर जानमाल की धमकी दि गयी थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा दिनांक 04.08.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 27.08.2021 को थाना थाना कोतवाली पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री राकेश कुमार मिश्रा मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1486 द्वारा मारपीट / विवाद के दौरान घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल</u> –
पीआरवी <u>1486</u> को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत पकरी आराजी से इवेन्ट संख्या 11180 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों मे मारपीट / विवाद के दौरान एक व्यक्ति को घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 06 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर मारपीट के दौरान घायल व्यक्ति को इलाज हेतु जरिए एम्बुलेंस प्रा0 स्वा0 केन्द्र सेमरियावां भेजवाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 संजय पाल, आ0 रंजन राजभर, हो0चा0 उमेश कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 111 वाहनो से 1,14,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.08.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 1111 वाहनो से 1,14,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।